अपील सूचना अधिकार संख्या 67/2022 (RCMS 2020/239) श्री दिनदायाल पुत्र श्री धर्मपाल निवासी 3 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 96671–74698) बनाम उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सादुलशहर

14.06.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दिनदयाल उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22.08.2022 से उपजिला निर्वाचन अधिकारी सादुलशहर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उपजिला निर्वाचन अधिकारी, सादुलशहर ने निश्चित समयावधि में प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सादुलशहर से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2022 से निम्न सूचना चाही थी:

1. सादुलशहर विधानसभा के कुल बुथ की प्रमाणित प्रति।
2. सादुलशहर विधानसभा में कुल बी.एल.ओ. के नाम व पद (स्थाई और अस्थाई कर्मचारी) की सूची प्रमाणित प्रति।
3. बी.एल.ओ. ड्यूटी किन–किन कर्मचारियों की लगाई जाती है, नियमों की प्रमाणित प्रति।
4. प्रथम अपील अधिकारी का नाम, पता और मोबाईल नं. की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) सादुलशहर ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./2022/2627 दिनांक 06.12.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री दीनदयाल द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र व आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2022 द्वारा जो सूचना चाही गई थी। इस संबंध में अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 2544–2545 दिनांक 25.11.2022 द्वारा सूचित कर दिया गया है कि वह दिनांक 30.11.2022 तक कार्यालय हाजा से कार्यालय समय सुबह 9:30 बजे से सांय 6:00 बजे तक निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपनी सूचना प्राप्त कर सकता है। श्रीमानजी को सादर प्रेषित है।
>
> -sd-
> लोक सूचना अधिकारी एवं
> निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
> (एसडीएम), सादुलशहर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), सादुलशहर द्वारा अपलार्थी को वांछित सूचनाएं प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु सूचित किया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात **दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी [illegible] सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक [illegible] है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में [illegible] लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजक[illegible] नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), सादुलशहर **द्वारा** अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह **सही है** जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति** लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), सादुलशहर **को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.07.06 13:20:30 IST
Reason: SelfAttested